

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय रीवा(म0प्र0)

क्रमांक.....94 / नग्रानि / लेखा0 / 2016

रीवा, दिनांक...10... / 8... / 2016.

प्रति,

आयुक्त सह संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0 भोपाल

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) के क्रियान्वयन के संबंध में।
संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 931/सू0अ0/सामा0/नग्रानि /भोपाल दिनांक 25.2.2016 एवं पत्र
क्रमांक 2847 दिनांक 29.6.2016 एवं पत्र क्रमांक 3257 भोपाल दिनांक 27.7.2016।

---000---

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) के अंतर्गत 17 बिन्दुओं की जानकारी तैयार की जाकर आपकी ओर संलग्न कर प्रेषित है।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

संयुक्त संचालक

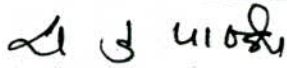
संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय रीवा (म0प्र0)R

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय रीवा(म0प्र0)

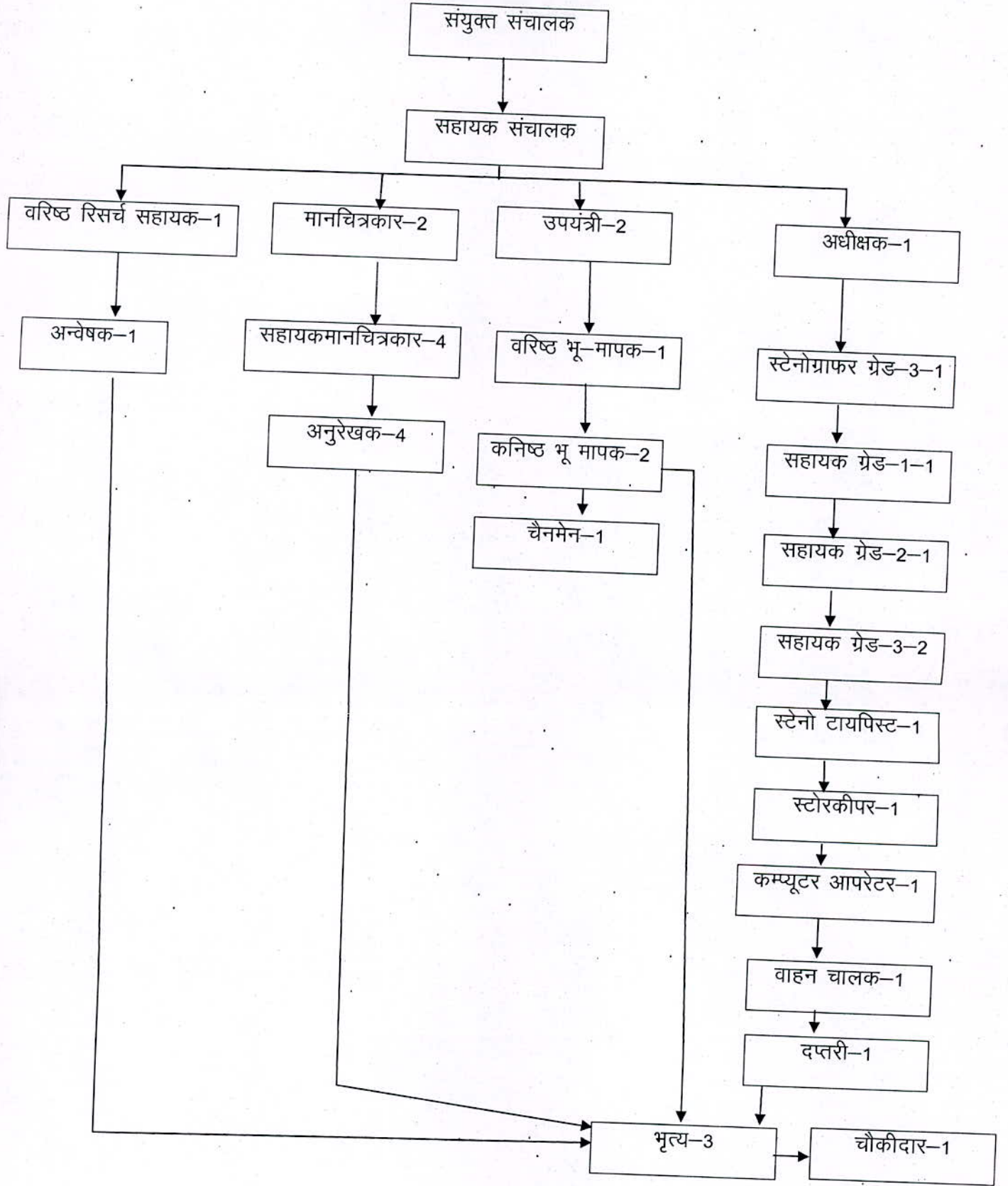
विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत विभाग के कार्यपालन संबंधी 17 बिन्दु का मेनुअल

क्र०	कार्य / लक्ष्य	उपलब्धियाँ	दिनांक
जिला रीवा तहसील-हुजूर			
1.	रीवा निवेश क्षेत्र का गठन	म0प्र0 शासन नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1293-एफ-1-42 तैत्तीस-74 भोपाल दिनांक 20.4.1974 द्वारा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत रीवा निवेश क्षेत्र गठित किया गया है।	20.4.1974
•	रीवा निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र का प्रकाशन	संयुक्त संचालक नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र नियोजन रीवा द्वारा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15 की उप धारा (1) के अंतर्गत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र का प्रकाशन किया गया।	9.11.1977
•	रीवा निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र का अंगीकरण	संयुक्त संचालक नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र नियोजन रीवा द्वारा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15 की उप धारा (3) के अंतर्गत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र अंगीकृत किये गये।	1977
•	रीवा विकास योजना 2001	म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-16(15)-86-32-1 भोपाल दिनांक 7.11.1990 के द्वारा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19(4) के अंतर्गत रीवा विकास योजना अनुमोदित की गयी।	म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 475 दिनांक 29.11.1990 में प्रकाशित।
•	रीवा विकास योजना 2021 पुनर्विलोकन (प्रारूप)	म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 388-वियो-258-नग्रानि-2009 भोपाल दिनांक 16.1.2009 के द्वारा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 की उप धारा (2) सह पठित धारा 18 की उप धारा (1) के अंतर्गत रीवा विकास योजना 2021 पुनर्विलोकन (प्रारूप) प्रकाशित किया गया।	म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 30 दिनांक 21.1.2009
•	रीवा विकास योजना 2021 अंगीकृत	म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-3-2009-बत्तीस-भोपाल दिनांक 30.3.2010 के द्वारा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19(4) की उप धारा (1) के अंतर्गत रीवा विकास योजना 2021 अनुमोदित की गयी।	म0प्र0 राजपत्र भाग-1 दिनांक 9.4.2010 में प्रकाशित।

2.	गोविन्दगढ़ निवेश क्षेत्र का गठन	म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग (पर्यावरण शाखा) के अधिसूचना क्रमांक 2475/32 भोपाल दिनांक 24 जून 1978 द्वारा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा(1) के अंतर्गत गोविन्दगढ़ निवेश क्षेत्र का गठन किया गया।	24.6.1978
•	गोविन्दगढ़ निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र का प्रकाशन	संयुक्त संचालक नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र नियोजन रीवा द्वारा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15 की उप धारा (1) के अंतर्गत भूमि उपयोग का प्रकाशन किया गया।	म0प्र0 राजपत्र भाग-3(1) दिनांक 20.11.1987 में प्रकाशित।
•	गोविन्दगढ़ निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र का अंगीकरण	संयुक्त संचालक नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र नियोजन रीवा द्वारा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15 की उप धारा (3) वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र अंगीकृत किये गये।	म0प्र0 राजपत्र भाग-3(1) दिनांक 20.1.1989 में प्रकाशित।
जिला रीवा तहसील-त्योथर			
2.	चाकघाट निवेश क्षेत्र का गठन	म0प्र0 आवास एवं पर्यावरण विभाग (पर्यावरण शाखा) के अधिसूचना क्रमांक 2106/2635/बत्तीस/77 भोपाल दिनांक 17 मई 1977 द्वारा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत चाकघाट निवेश क्षेत्र गठित किया गया।	दिनांक 17.5.1977
•	चाकघाट निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र का प्रकाशन	संयुक्त संचालक नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र नियोजन रीवा द्वारा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15 की उप धारा (1) के अंतर्गत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र का प्रकाशन किया गया।	म0प्र0 राजपत्र भाग-3(1) दिनांक 6.1.1978 में प्रकाशित।
•	चाकघाट निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र का अंगीकरण	संयुक्त संचालक नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र नियोजन रीवा द्वारा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15 की उप धारा (3) के अंतर्गत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र अंगीकृत किये गये।	म0प्र0 राजपत्र भाग-3(1) दिनांक 18.8.1978 में प्रकाशित।
•	चाकघाट विकास योजना 2021 (प्रारूप) का प्रकाशन	म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 587-वियो-361-2012 भोपाल दिनांक 31.1.2012 के द्वारा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश 1973 की धारा 18 की उप धारा (1) के अंतर्गत चाकघाट विकास योजना 2021 (प्रारूप) का प्रकाशन किया गया।	म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 60 दिनांक 8.2.2012 में प्रकाशित।


 संयुक्त संचालक
 नगर तथा ग्राम निवेश
 जिला कार्यालय रीवा (म0प्र0)

बिन्दु क्रमांक:- 1 (अ) कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश रीवा सेट अप:-



५ ३ ५०८५
 संयुक्त संचालक
 नगर तथा ग्राम निवेश
 जिला कार्यालय रीवा (म०प्र०)

बिन्दु क्रमांक:-2

कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, पदनाम, कर्तव्य तथा परिलब्धियाँ संबंधी जानकारी :-

क्र०	कर्मचारी का नाम	पद	आवंटित कार्य
1.	श्री आर.के.पाण्डेय	संयुक्त संचालक	जिला कार्यालय रीवा का अतिरिक्त प्रभार
2.	श्री राम सजीवन कोल	अधीक्षक	स्थापना एवं लेखा शाखा के प्रबन्धन का कार्य
3.	श्री अजय प्रमोद कुमार दीन	स्टोरकीपर	समस्त रिकाड़ो का संधारण, ग्रन्थालय, लाईब्रेरी प्रभारी, पुस्तकों का संधारण एवं कार्यालय कम्प्यूटर आररेटिंग संबंधी कार्य।
4.	श्रीमती रीता मिश्रा	सहायक ग्रेड-2	लेखा संबंधी समस्त कार्य एवं कैशबुक, पासबुक समस्त रिकार्ड एवं संबंधित नस्तियों का संधारण, टाईपिंग कार्य तथा समस्त संबंधित कार्यों के प्रति दायित्वाधीन रहेगी।
5.	श्रीमती विनोद मिश्रा	सहायक ग्रेड-2	प्रशासनिक एवं स्थापना संबंधी समस्त कार्य एवं नस्तियों का संधारण, टाईपिंग कार्य तथा समस्त संबंधित कार्यों के प्रति दायित्वाधीन रहेगी।
6.	श्री राजेश कोरी	सहायक ग्रेड-3	लेखा कक्ष में प्रभारी का सहयोग एवं कम्प्यूटर का भी कार्य करेंगे।
7.	श्री पन्नालाल कहार	सहायक ग्रेड-3	स्थापना कक्ष में प्रभारी का सहयोग एवं श्री अमृतलाल तिवारी की अनुपस्थिति में आवक-जावक का भी कार्य करेंगे।
8.	श्री एम.पी.द्विवेदी	उपयंत्री	रीवा प्लानिंग ऐरिया से बाहर का कार्य तथा आई.डी.एस.एम.टी.योजना सम्पादन करते हुये उपरोक्त कार्य अग्रिम आदेश तक करेंगे।
9.	श्री बी०डी० सिंह	सहायक मानचित्रकार	रीवा निवेश क्षेत्र में ईकाई क्रमांक एक एवं इकाई क्रमांक दो का सम्पूर्ण कार्य जिले के सिरमौर, बैकुण्ठपुर, सेमरिया, त्योंथर, चाकघट, नगर परिषद क्षेत्र का सम्पूर्ण कार्य।
10.	श्री आर.के.शर्मा	वाहन चालक	वाहन का रखरखाव एवं लॉकबुक का संधारण करेंगे।
11.	श्री अमृतलाल तिवारी	दै०वे०भोगी	आवक-जावक का कार्य

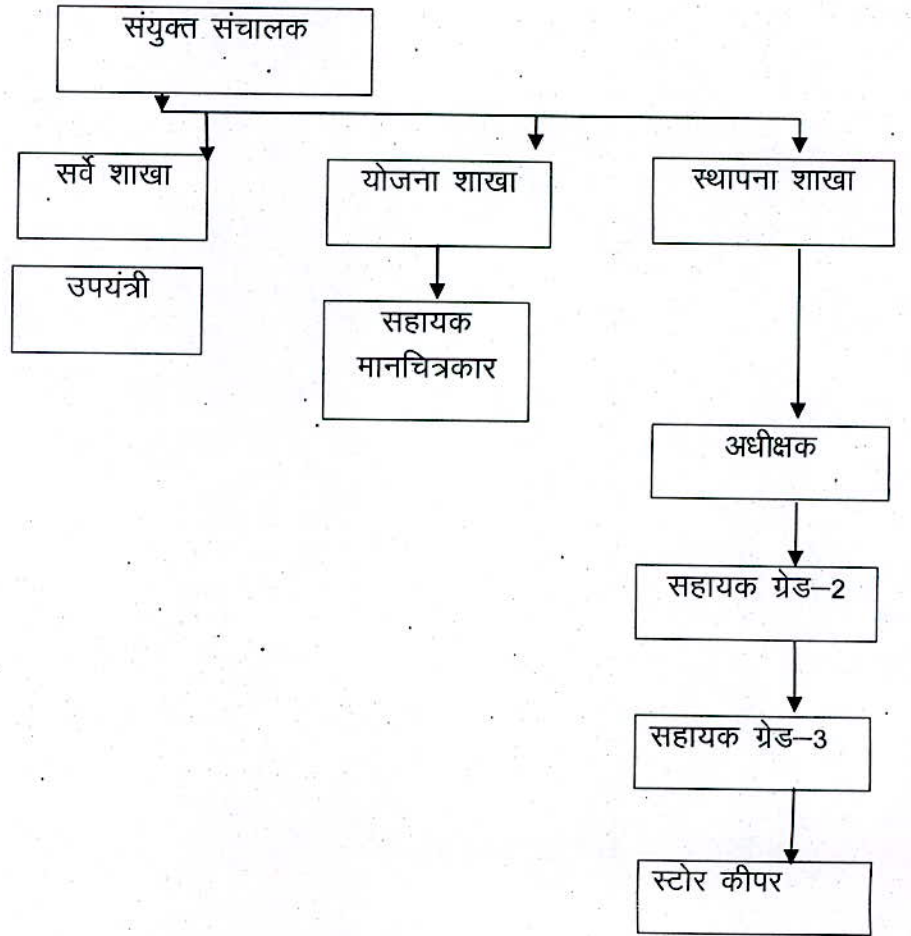
12.	श्री मनोरंजन यादव	चैनमैन	कोषालय का समस्त कार्य
13.	श्री पालक दास शुक्ला	भृत्य	संयुक्त संचालक की घन्टी सुनने का कार्य।
14.	श्री बनाफर लाल कोल	भृत्य	कार्यालयीन डाक वितरण एवं घन्टी सुनने का कार्य
15.	श्री सरीफुद्दीन	चैनमैन	नक्शो का रखरखाव एवं घन्टी सुनने का कार्य
16.	श्री इन्द्रभान कुशवाहा	चौकीदार	चौकीदार

२१ ७ ५१०८५

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय रीवा (म० प्र०)

बिन्दु क्रमांक:-3

कार्यालय में अपनाई जाने वाले निर्णय प्रक्रिया
(नस्ती खोले जाने से निर्णय लेने तक)



संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय रीवा (म0प्र0)

बिन्दु क्रमांक:-4

कार्यालय द्वारा समय सीमा में कार्य निपटाने ,गुणवत्ता तथा मात्रा।

1. म0प्र0नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 29 में प्राप्त आवेदन का निराकरण सीमा 2 माह (60 दिन)।
2. नजूल/भूमि परिवर्तन प्रकरण में अभिमत बावत् समय-सीमा एक माह (30 दिन)।
3. भूमि उपयोग प्रमाण पत्र बावत् समय सीमा 7 दिवस।
4. सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त आवेदन की समय-सीमा एक माह(30 दिन)

बिन्दु क्रमांक:-5

कार्यालय में उपयोग होने वाले उपलब्ध अधिनियम,नियम,रेगुलेशन,मेन्युअल की सूची।

1. म0प्र0नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973
2. म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012
3. भूमि विकास नियम 2012
4. म0प्र0 अवकाश नियम
5. म0प्र0 सामान्य भविष्य नियम
6. म0प्र0 यात्रा नियम
7. म0प्र0 चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम एवं अन्य विभाग से संबंधित

बिन्दु क्रमांक:-6

कार्यालय में संधारित किये जाने वाले विभिन्न अभिलेखों की सूची तथा वर्गीकरण।

1. शोध शाखा:-

1-न्यायालयीन प्रकरण नस्ती

2-म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 36-37(अबैध निर्माण संबंधी सूचना-पत्र एवं नोटिस)नस्ती।

2. सर्वेक्षण शाखा :- सर्वे स्टाक पंजी

3.योजना शाखा :-1-धारा -27 पंजी, धारा 28 पंजी,धारा 29 पंजी, भू राजस्व संहिता के तहत प्राप्त प्रकरण पंजी ,नजूल भूमि पंजी, नगर पालिक निगम से प्राप्त प्रकरण पंजी,सामान्य प्रकरण जी,भूमि उपयोग प्रमाण पत्र पंजी एवं सूचना के अधिकार की पंजी।

- 4.स्थाना शाखा:- 1- उपस्थिति पंजी, 2- वार्षिक वेतन वृद्धि पंजी,
3- आकस्मिक अवकाश पंजी, 4- आवक पंजी,
5-जावक पंजी, 6-डाक टिकिट पंजी।

- 5.लेखा शाखा:- 1-यात्रा देयक पंजी,
2-चिकित्सा देयक पंजी,
3- वेतन रजिस्टर
4-मासिक व्यय पंजी
5-अग्रिमो की पंजी,
6-अवितरित राशि की पंजी,
7-बिल रजिस्टर
8-बी0टी0बी0बुक
9-चेकरजिस्टर,
10-ड्राफ्ट रजिस्टर,
11- सामुहिक बीमा,
12-दूरभाष बिजली बिल पंजी
13-भवन किराया पंजी
14-विभागीय सामान्यनिधि रजिस्टर।
15- ट्रेजरी व्हाउचर इंड्राज पंजी,
16-केशबुक ,
17-पेंशन रजिस्टर ,
18-दैनिक वेतन भोगी एन0पी0एस0 कटौती रजिस्टर,
19-सामान्य भविष्यनिधि अग्रिम रजिस्टर,
20-बजट रजिस्टर,
21-एफ0बी0सी0 रजिस्टर,
22-चालान रजिस्टर एवं मासिकव्यय पत्रक, राजस्व प्राप्तियाँ रजिस्टर एवं नस्ती

- 6- स्टोर :-
- 1-कार्यालयीन लेखन सामग्री पंजी
 - 2-ड्राईंग सामग्री पंजी
 - 3-विविध सामग्री पंजी ।
 - 4- डेड स्टॉक रजिस्टर
 - 5-विकास योजना पुस्तकों पंजी
 - 6- लायब्ररी पंजी
 - 7-वर्दी रजिस्टर एवं
 - 8-वाहन रजिस्टर ।

बिन्दु क्रमांक -7

परामर्शदात्री समितियों की संरचना, उनके सदस्य उनके सदस्य प्रतिनिधि उनके नाम आदेश क्रमांक निर्णय संबंधी सरक्यूलर तथा दायित्व एवं कर्तव्य की जानकारी ।

निरंक

बिन्दु क्रमांक :-8

कार्यालय के अंतर्गत आनेवाले बोर्ड परिषद् एवं समितियों के सदस्यों के नाम एवं अर्हता गठन संबंधी आदेश चार्टर/अनुबंध से संबंधी जानकारी बैठक आहूत संबंधी शासन के निर्देश आम नागरिक की प्रतिभागिता तथा कार्यवाही विवरण ।

निरंक

बिन्दु क्रमांक :- 9 एवं 10

कार्यालय में समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम, पदनाम, वेतन तथा सुविधायें यह जानकारी कार्यालय एवं कोषालय दोनों जगह उपलब्ध रहेगी ।

क्र०	नाम	पदनाम	वेतनमान	सुविधायें
1.	श्री आर०के० पाण्डेय	संयुक्त संचालक	15600-39100+7600	म०प्र० शासन के कर्मचारियों का प्राप्त होने वाली समस्त सुविधायें ।
2.	श्री रामसंजीवन कोल	अधीक्षक	9300-34000+3600	
3.	श्री अजयप्रमोद कुमार दीन	स्टोर कीपर	5200-20200+2800	
4.	श्रीमती रीता मिश्रा	सहायक ग्रेड-2	5200-20200+2800	
5.	श्रीमती विनोद मिश्रा	सहायक ग्रेड-2	5200-20200+2800	
6.	श्री मकसूदन प्रसाद द्विवेदी	उपयंत्री	9300-34000+3200	
7.	श्री बुध्ददेव सिंह	सहायक मानचित्रकार	5200-20200+2800	
8.	श्री पन्नालाल कहार	सहायक ग्रेड-3	5200-20200+1900	
9.	श्री राकेशकुमार शर्मा	ड्राईवर	5200-20200+2800	
10.	श्री राजेश कोरी	सहायक ग्रेड-3	5200-20200+1900	
11.	श्री ईश्वर माणि सोनी	सीनियर सर्वेयर	5200-20200+2400	
12.	श्री पालकदास शुक्ला	भृत्य	5200-20200+1900	
13.	श्रीमनोरंजनयादव	चैनमैन	5200-20200+1800	
14.	श्री बनोंफर कोल	भृत्य	4440-7440+1300	

15.	श्री सरीफुद्दीन	चैनमैन	4440-7440+1300	
16.	श्री इन्द्रभान कुशवाहा	चौकीदार	5200-20200+1300	
17.	कुमारी अंकिता सिंह	कम्प्युटर आपरेटर	16000/-	

बिन्दु क्रमांक-11

कार्यालय के लिये वर्षानुसार मदवार बजट आवंटन तथा उनके उपयोग संबंधी जानकारी कार्यालय एवं कोषालय में उपलब्ध हैं ।

बिन्दु क्रमांक -12

विभाग के द्वारा संचालित कार्यक्रमों की सूची हितग्राहियों के चयन प्रक्रिया, वित्तीय सहायता देने वाले संस्था, वर्षवार आवंटित राशि तथा हितग्राहियों की संख्या इसे प्रतिमान अधतन करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे ।

निरंक

बिन्दु क्रमांक -13

वास्तविक हितग्राहियों की सूची तथा उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाये ।

निरंक

बिन्दु क्रमांक -14

कार्यालय में उपलब्ध जानकारी की सूची श्रेणी तथा उनकी प्रकृति-हार्ड कापी में उपलब्ध है ।

बिन्दु क्रमांक:-15

नगरिको को सूचना उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध सुविधायें जैसे पुस्तकालय, पब्लिक काउन्टर । आम नागरिको सूचना उपलब्ध कारन के लिये म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत शासन द्वारा स्वीकृत विकास योजना 2021 की पुस्तक विक्रय हेतु सुविधा उपलब्ध है जिसे निर्धारित शुल्क पर क्रय किया जा सकता है ।

बिन्दु क्रमांक:-16

लोक सूचना अधिकारी से संबंधित जानकारी:-

1. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही की जाती है।
2. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 के तहत कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी नामांकित किये गये हैं।
3. अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानानुसार अपीलीय प्राधिकारी का नामांकन किया गया है।
4. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 27 के अंतर्गत जानकारी देने से संबंधित प्रपत्रों (प्रपत्र 1 से 6 तक) पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है तथा आवश्यक पंजी संघारित की जाती है।

बिन्दु क्रमांक:-17

प्रासंगिक जानकारी जिसका सीधा संबंध आम नागरिक से हो।

निरंक

संयुक्त सचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

जिला कार्यालय रीवा (म0प्र0)